न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—296 / 2023 / 225 आर.टी.एक्ट (2023 / 296)

1. श्री नंगा पुत्र धन्ना
2. श्रीमती चुकी पत्नी श्री शंकर
3. श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्व0 श्री रघुवीर सिंह
4. श्री करतार सिंह पुत्र स्व0 श्री रघुवीर सिंह
5. काली पत्नी स्व0 गोपाल
6. गुमानी पत्नी श्री मोहन सिंह
7. नेती पुत्री श्री मल्ला
8. श्री पृथ्वीराज पुत्र स्व0 श्री गोपाल
9. पन्नाराम उर्फ पन्ना सिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह
10. श्रीमती जेती पत्नी श्री पांचू सिंह
11. गोमा उर्फ गोविन्द पुत्र स्व0 पांचू सिंह
12. रूकमा पत्नी स्व0 श्री गोपी
13. काना उर्फ विक्रम पुत्र स्व0 गोपी
14. कैलाश पुत्र स्व0 गोपी
15. बगडावत पुत्र स्व0 बुद्धा

समस्त जाति—रावत, निवासीगण—ग्राम नाहरपुरा तहसील व जिला अजमेर।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रवण पुत्र श्री लाला
2. शंकर सिंह पुत्र लाला
3. गेनसिंह पुत्र लाला
4. छोटू पुत्र श्री दूला
5. श्रीमती राजी देवी पत्नी लक्ष्मण
6. श्री नाथू सिंह पुत्र स्व0 लक्ष्मण
7. कानी देवी पुत्री स्व0 लक्ष्मण
8. गोटा देवी पुत्र स्व0 लक्ष्मण
9. श्रीमती सोनी पत्नी श्री प्रेम
10. गिरधारी सिंह पुत्र श्री प्रेम
11. भागचंद पुत्र श्री प्रेम
12. मीरा पुत्री श्री प्रेम
13. मोहनी देवी पुत्री श्री प्रेम
14. सीमा देवी पुत्री श्री प्रेम
15. श्रीमती पानी देवी पत्नी श्री प्रताप
16. प्रकाश सिंह पुत्र श्री प्रताप
17. गीता पुत्री श्री प्रताप
18. ज्ञाना पुत्री श्री प्रताप
19. श्रीमती जमना देवी पत्नी श्री सुखा
20. मंजू देवी पुत्री श्री सुखा
21. माया रावत पुत्री सुखा
22. रेखा देवी पुत्री सुखा
23. राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र सुखा
24. श्रीमती प्रेम देवी पत्नी कर्मसिंह
25. नानू सिंह पुत्र कर्मसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

26. लाख सिंह पुत्र कर्मसिंह
27. विक्रम सिंह पुत्र कर्मसिंह
28. देवा सिंह पुत्र श्री बीरम
29. प्रधान पुत्र किशन सिंह
30. मंगला पुत्र सुवा

समस्त जाति–रावत, निवासीगण–ग्राम नाहरपुरा तहसील व जिला अजमेर।

असल रेस्पोडेंट्स

31. आयचूकी देवी पुत्री स्व0 श्री रघुवीर सिंह
32. श्रवणी पुत्री स्व0 श्री रघुवीर सिंह
33. श्री सुगन सिंह पुत्र स्व0 किशना
34. गोकूल सिंह पुत्र स्व0 किशना
35. नानू सिंह पुत्र स्व0 मल्ला

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.05.2023 राजस्व वाद संख्या 07/2022 (143/2022)

उपस्थितः–

1. श्री रमजान मौहम्मद, अभिभाषक अपील्लांट.
2. श्री विजयसिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 से 07 व 9 से 30
3. श्री अनीष खान, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 31 से 35
4. रेस्पोडेंट संख्या 08 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 27.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2022 (143/2022) में पारित आदेश दिनांक 23.05.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रथम अपील असल रेस्पोडेंट संख्या–1 लगायत 30 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर में दिनांक 07.04.2022 को प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु दिनांक 22.09.2022 की तारीख पेशी नियत की गई। जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व संख्या 8 से 10 व 15/1 व 15/3, 16/3, 11, 13, 14, 17, 13/4 की ओर से जवाब पेश किया गया। दिनांक 27.10.2022 को अप्रार्थी संख्या–5, 6, 14 को अनुपस्थित बताया गया अप्रार्थी संख्या 12, 18, 19, 20 की तलबी हेतु नोटिस तलवाना पेश होने पर जारी करने की हिदायत दी गई, तथा अप्रार्थी संख्या 5, 6, 14, 15/2, 15/4, 16/3, 16/2, 16/4 की आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 15/12/2022 को पेश हो। ट्रायल कोर्ट द्वारा पत्रावली तलबी में मुकर्रर कर रखी थी दिनांक 27.12.2022 को तहसीलदार अजमेर द्वारा दिनांक 8.6.2022 कों मौका रिपोर्ट बनाते हुए खसरा नम्बर 718, 725, 723 में से रास्ता दिए जाने की रिपोर्ट बनाई गई। जिसके संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट की प्रमाणित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि लेकर प्रशासन गांवों के संग अभियान तबीजी में उपस्थित होकर एतराज पेश किया गया। प्रार्थीगण ने दिनांक 23.05.2023 को प्रशासन गांव के संग केम्प मियापुर, राजीव गांधी सेवाकेन्द्र पर उपस्थित होकर लिखित में मौका रिपोर्ट का एतराज किया और रास्ता नहीं देने हेतु अनुसंशा की गई। प्रशासन गांव के संग अभियान में हल्का पटवारी गिरदावर तहसीलदार ने खसरा संख्या 718, 723, 725 में से रास्ता लेने के आदेश पारित किए है। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2022 (143/2022) में पारित आदेश दिनांक 23.05.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 08 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थीगण ने दिनांक 23.5.2023 को प्रशासन गांव के संग केम्प मियापुरा राजीव गांधी सेवाकेन्द्र पर उपस्थित होकर लिखित में मौका रिपोर्ट का एतराज किया और रास्ता नहीं देने हेतु अनुसंशा की गई। फिर भी प्रशासन गांव के संग अभियान में असल रेस्पोडेंट ने हल्का पटवारी गिरदावर तहसीलदार से मिलकर मजमें आम में खसरा संख्या 718, 723, 725 में से रास्ता लेने के आदेश पारित करवा लिए जो प्रारम्भ से ही शून्य हैं। अपीलार्थीगण खसरा नम्बर–790 जो अपीलार्थीगण का खेत है में से रास्ता खेत की सींव के सहारे सहारे कायम करने हेतु तत्पर है। लेकिन विपक्षीगणों ने राजनैतिक दबाव एवं साजिश रचकर प्रशासन को अपने पक्ष में कर दिनांक 23/05/2023 को पत्रावली अपनी मर्जी के मुताबिक ही केम्प कोर्ट मियापुर ले गये और वहां पर अपीलार्थीगण ने तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 08/06/2022 का एतराज किया और प्रार्थना पत्र पेश किया फिर भी राजस्व अभियान द्वारा अपीलार्थीगण की बात नहीं सुनी और असल रेस्पोंडेन्ट को लाभ पहुंचाने की गर्ज से दिनांक 23/05/2023 को रास्ता खसरा नम्बर–718, 723, 725, में रास्ता कायम करने के आदेश पारित कर दिये गये। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 16/05/2023 को पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 08/08/2023 को दी गयी और उससे पूर्व ही अपीलार्थीगण को बिना नोटिस जारी करे बिना सुनवाई किये अपनी मर्जी के मुताबिक ही दिनांक 23/05/2023 को राजस्व अभियान में मियापुर ले गये । इस कारण अपीलार्थीगण राजस्व अभियान में उपस्थित होकर तहसीलदार की रिपोर्ट का एतराज किया जिसके एतराज पर गौर नहीं किया तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 07/06/2022 में अपीलार्थी चूंकि पत्नी शंकर ने खसरा संख्या–718, 723, 725 की पश्चिमी भूजाओं में से रास्ता देने हेतु सहमत नहीं हुए और खसरा संख्या–790, 72, 721, 722 की दक्षिण भूजा में से रास्ता देने हेतु आग्रह किया। पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान में अपनी मर्जी के मुताबिक ही बिना अपीलार्थीगण की सहमति के गांव के संग केम्प में ले गये जहां पर प्रार्थीगण उपस्थित व अप्रार्थीगण अनुपस्थित बताया गया है जबकि अप्रार्थीगण जो मौजूदा सूरत में अपीलांट है में केवलमात्र शंकर और पृथ्वीराज ही मौजूद थे, अन्य कोई अपीलार्थीगण मौजूद नहीं थे फिर भी सभी की उपस्थिति दर्ज कर विवादग्रस्त निर्णय पारित किया है। अपीलार्थीगण को मुगालते में रखकर प्रशासन गांव के संग अभियान में इस मुगालते में रखकर आपकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है आपका फैसला अंतिम रूप से न्यायालय में सुनवाई का अवसर प्रदान कर किया जायेगा लेकिन प्रशासन गांव के संग अभियान में हल्का पटवारी गिरदावर तहसीलदार द्वारा असल रेस्पोंडेन्ट को लाभ पहुंचाने की गर्ज से निर्णय पारित किया गया है जिसमें अपीलार्थी अधिवक्ता श्री रमजान मोहम्मद की ओर से अप्रार्थीगण संख्या – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 1/15, 3/15, 4/16, 4/17, की ओर से उपस्थित बताया जबकि अधिवक्ता केम्प कोर्ट में कतई नहीं गये थे । इस प्रकार अभियान में असल रेस्पोंडेन्ट को लाभ पहुंचाने की गर्ज से निर्णय पारित किया गया है। निर्णय पारित करते समय दिनांक 23/05/2023 को विपक्षी बहस सुनना

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

बताया गया है जबकि उभय पक्ष का कोई भी नामोनिशान मौजूद नहीं था। अप्रार्थीगण की ओर से केवलमात्र शंकर, चूकी, एवं प्रतिवादीगण मौजूद थे जिन्होने तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 08/06/2022 पर एतराज प्रस्तुत किया था। जिस पर कतई गौर नहीं कर कागज की तरह पत्रावली पर लगा दिया और उसे पढने तक की जहमत नही की, इस प्रकार ट्रायल कोर्ट का निर्णय जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है । तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट जवाब प्रारम्भ से ही असल रेस्पोंडेन्ट को लाभ पहुंचाने की गर्ज से प्रस्तुत किया गया है और प्रशासन संग गांव के संग अभियान में अपने निर्णय को आधार बनाया है जो न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया निर्णय शून्य आदेश है जो निरस्त किये जाने योग्य है। कानून स्थिति स्पष्ट है कि राजस्व अभियान में वह प्रकरण भिजवाये जाते है जिसमें दोनो पक्षकारों की सहमति होती है जो दोनो पक्षकारो की सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हो लेकिन कानूनी प्रक्रिया को नजरअंदाज कर असल रेस्पोंडेन्ट को लाभ पहुंचाने से पत्रावली जो दिनांक 08/08/2023 को न्यायालय में नियत थी फिर भी पत्रावली राजस्व अभियान में मियापुर ले गये और वहां पर पक्षकारों की सहमति नहीं होते हुए भी अपीलार्थीगण की खातेदारी आराजी में से बिचो–बीच जाकर खसरा संख्या–718, 723, 725 में से रास्ता दे दिया गया जो शून्य आदेश है। आर0आर0टी02023 पेज नम्बर 309 के तहत खेत के बीचो–बीच में खेत के दो टूकडे कर रास्ता नहीं दिया जा सकता है जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2022 (143/2022) में पारित आदेश दिनांक 23.05.2023 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– आर0बीजे0 2021 पेज 276, आर0बीजे0 2016 पेज 338, 679, आर0बीजे0 2019 पेज 443 हाईकोर्ट, आर0बीजे0 2023 पेज 49, आर0बीजे0 2019 पेज 267, आर0आर0डी 1993 पेज 411, आर0आर0टी0 2010 II पेज 1306, डी0एन0जे 2018(रेवे0) पेज 36, ए0क्यू0आर0 1987(सूप्रीम कोर्ट) पेज 1353, आर0बी0जे 1998 पेज 380।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थन पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तत कर कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि चाह जो कि ब–मुताबिक वर्तमान जमाबंदी संवत 2070–2073 के खाता संख्या 198 में दर्ज खसरा नम्बर कुल किता 35 कुल रकबा 8.26 है0 भूमि जो कि वाके ग्राम नाहरपुरा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित होकर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी एवं काश्तकारी में दर्ज चली आ रही है, जिसमें खातेदार किशना पुत्र श्री केला एवं रामा पुत्र श्री केला जो कि ला–औलाद फौत हो चुके है, कि जिसके समर्थन में वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070–2073 एवं वर्तमान राजस्व नक्शा आदि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 704 रकबा 0.10 है0, 704/1085 रकबा 1.10 है0, 704/1145 रकबा 0.10 है0 705 रकबा 1.15 है0 706 रकबा 0.09 है0 707 रकबा 0.23 है0 727 रकबा 0.15 है0 728 रकबा 0.14 है0, 729 रकबा 0.02 है0 किस्म गै० मु० चाह, 730 रकबा 0.02 है0 731 रकबा 0.28 है०, 732 रकबा 0.15 है0 733 रकबा 0.50 है0, 734 रकबा 0. 19 है0 735 रकबा 0.16 है0 736 रकबा 0.21 है०, 743 रकबा 0.16 है0 744 रकबा 0.24 है0 787 रकबा 0.21 है० एवं खसरा नम्बर 788 रकबा 0.23 है0 जो सम्पूर्ण भूमि किस्म चाही 1 है, तथा मौके पर वर्णित भूमि की सीमाएं आपस में लगती हुई होकर एक चक भूमि के रूप में अवस्थित है, जो कि सिंचित एवं उपजाऊ भूमि है, जिसकी सिंचाई चाह (कुआ) खसरा नम्बर 729 से की जा रही है इस प्रकार प्रार्थीगण की आजीविका वर्णित खातेदारी आराजीयात् पर ही निर्भर है, जिससे प्रार्थीगण अपना एवं अपने–अपने परिवार का भरण पोषण वर्णित कृषि भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

के अपने पूर्वजों के समय से आज दिवस तक करते चले आ रहे है। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मुताबिक वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 151 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 716, 717, 718, 719, 720, 723, 726 एवं 790, रकबा 1.74 है0 एवं खाता संख्या 150 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 430, 437, 440, 724 एवं 725 रकबा 1.34 है0 भूमि जिसके खातेदार अप्रार्थीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है, कि जिसमें खातेदार श्री पांचू पुत्र श्री नंगा का भी स्वर्गवास हो चुका है, कि जिसके वारिस अप्रार्थी सं0 15/1 लगायत 15/4 है, तथा खातेदार श्री गोपी पुत्र श्री किशना का भी स्वर्गवास हो चुका है कि जिसके वारिस अप्रार्थी संख्या 16/1 लगायत 16/4 है, इसी प्रकार खातेदार मुण पुत्र जवाना का स्वर्गवास हो चुका है, कि जिसका एकमात्र वारिस अप्रार्थी संख्या 19 है, कि जिनकी विरासत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में नहीं होने से अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किये है, तथा अप्रार्थी संख्या 1, 2, 15/1 द्वारा अपने आंशिक हिस्से का रहन अप्रार्थी संख्या 20 के पक्ष में रहन होने से पक्षकार संयोजित किया है, तथा उक्त अप्रार्थी सं0 20 के विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा है। इस प्रकार अप्रार्थी सं0 1 लगायत 19 की खातेदारी भूमि के सन्दर्भ में वर्तमान जमाबंदी की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण की वर्णित खातेदारी भूमि एवं चाह (कुआं) खसरा नम्बर 729 पर आवागमन का एक मात्र रास्ता जो कि पश्चिम दिशा की ओर अवस्थित आम रास्ता सड़क जो कि सराधना से नाहरपुरा एवं आगे राजगढ़ की ओर जाती है, से लगाकर पूर्व की ओर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता सं0 151 में दर्ज खसरा नम्बर 718 एवं 723 तथा खाता सं0 150 में दर्ज खसरा नम्बर 725 अवस्थित है, कि जिसकी दक्षिणी सींव से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 728 एवं चाह खसरा नम्बर 729 पर एवं अन्य भूमियों पर खेती बाडी करने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ बैलगाड़ी, ट्रेक्टर-ट्रॉली, हल इत्यादि के आवागमन हेतु उपयोग करते रहे है, कि उक्त आवागमन के अलावा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 728 की सीमा तक पहुंचने का अन्य ओर कोई वैकल्पिक अथवा लघुतम मार्ग मौके पर उपलब्ध नहीं है, तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त करने हेतु उक्त आवागमन रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है, कि जिससे यह प्रार्थना पत्र वास्ते अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 718, 725 एवं 723 में से होकर 12 फीट चौड़ा रास्ता कीमतन उपलब्ध कराये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। अतः न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 728 की सीमा तक आवागमन हेतु 12 फीट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि वर्तमान खाता सं0 151 में दर्ज खरारा नम्बर 713 एवं 723 तथा खाता सं0 150 में दर्ज खसरा नम्बर 725 की दक्षिण में सींव पर लगाकर आगे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 728 की सीमा तक आदेशानुसार कीमतन 12 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावें, कि जिसकी राशि न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को अदा करने को तैयार है, तदनुसार उक्त रास्ते की भूमि को वर्तमान जमाबंदी एवं नवशा ट्रेस में तरमीम की जाकर सिवायचक दर्ज करवाया जायें, जो कि न्यायसंगत एवं बिधि सम्मत होगा। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। तहसीलदार अजमेर ने जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया प्रस्तावित आराजी पर आवागमन हेतु रिकार्डेड व मौका पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही लघुत्तम दूरी के मार्ग का रास्ता है। प्रस्तावति आराजी 728 पर आवागमन हेतु चाहे गए रास्ता खसरा नम्बर 718 में 272 वर्ग मीटर, 725 में 32 वर्ग मीटर 723 में 176 वर्ग मीटर है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 728 पर पहुंच हेतु रास्ते दिए जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है क्योंकि वांछित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा पहुंच मार्ग हेतु मुख्य सडक सराधना राजगढ मार्ग से प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 728 तक आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया गया एवं प्रार्थी को 12 फुट चौडा रास्ता प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 728 पर आवागमन एवं ट्रेक्टर आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

लाने ले जाने हेतु ग्राम नाहरपुरा पटवारा-हल्का मियापुर तहसील अजमेर अवस्थित खसरा नम्बर 718, 723, 725 में से 12 फुट चौडा रास्ता दिए जाने के आदेश दिए गए। तहसीलदार, अजमेर राजस्व अभिलेख में इस अनुसार उपरोक्त वर्णित रास्ते को सिवायचक अंकित कर रास्ते की तरमीम करने के इन्द्राज दिए जाने के आदेश दिए गए। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय संगत व विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2016 आर0बी0जे पेज 20, 2023 आर0बी0जे पेज 470, 2023(1) डी0एन0जे0 रेवेन्यू पेज 813.

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपील असल रेस्पोडेंट संख्या–1 लगायत 30 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर में दिनांक 07.04.2022 को प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण पर मौका रिपोर्ट दिनांक 8.6.2022 को प्रस्तुत की गई जिसे शामिल मिसल किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.5.2023 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251 ए स्वीकार किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध हाजा न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका दिनांक 10.1.2023 में यह अंकन किया गया है कि " पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित। आज समय चाहा पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 31.1.2023 को पेश हो।" तत्पश्चात् प्रकरण में नियमित रूप से आदेशिका में मोहर अंकित करते हुए दिनांक 21.3.2023, 16.5.2023, 8.8.2023 नियत की गई तथा दिनांक 8.8.2023 से पूर्व ही प्रकरण को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मियापुर में सुनवाई हेतु नियत की गई। विपक्षीगण को जारी नोटिसों के अवलोकन से भी यह प्रतीत होता है कि सभी पक्षकारों को सम्मन सम्यक रूप से तामील नहीं करवाए गए तथा आदेशिका दिनांक 23.5.2023 में भी सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2022 आर0बी0जे 49 का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिसमें यह स्पष्ट अंकन है कि *" लोक अदालत उसी वाद में आदेश पारित कर सकती है जो वाद दोनों पक्षकारों की सहमति के आधार पर उसको प्रेषित किया गया हो? जब अदालत में ऐसे वाद में आदेश पारित किया गया जो उसे पक्षकारों की सहमति के बिना प्रेषित किया गया हो व उनकी अनुपस्थिति में पारित किया गया ऐसा आदेश लोक अदालत द्वारा पारित आदेश नहीं माना जा सकता है।"*

विचारण न्यायालय द्वारा भी सभी पक्षकारों को विधिवत रूप से सम्यक तामील नही करवाकर बिना सभी पक्षकारों की सहमति के प्रकरण को सीधे लोक अदालत केम्प कोर्ट में प्रेषित किया तथा लोक अदालत में भी सभी पक्षकारों की सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर वर्तमान विचाराधीन प्रकरण पर भी पूर्णतया चस्पा होती है तथा आदेश खारिज योग्य है।

पत्रावली में संलग्न मौका पर्चा दिनांक 7.6.2022 के अवलोकन से भी यह तथ्य सामने आते हैं कि मौका पर्चा पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है तथा मौका पर्चा पटवारी हल्का मियापुर द्वारा दिनांक 7.6.2022 को तैयार किया गया है जिसे दिनांक 8.6.2022 को तहसीलदार अजमेर को प्रेषित किया गया। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 में स्पष्ट रूप से नियम बनाए गए है जो निम्नानुसार है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–क के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम–:

69. **पूछताछ एवं आवेदन पत्र का निपटान–** *प्रपत्र एक में आवेदन पत्र की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल (साईट) का निरीक्षण करेगा या जो किसी अधिकारी द्वारा जो भू निरीक्षक अभिलेख के पद (रैंक) से नीचे का नहीं होगा एवं निरीक्षण करवाएगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करेगा उपखण्ड अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का एक अवसर प्रदान कर तथा ऐसी ओर अग्रिम जांच जिसे वह आवश्यक समझे करने के बाद यदि इससे अपना समाधान कर लेता है।*

अभिभाषक अपीलांट द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2019 आर0बी0जे पेज 443 का ससम्मान अवलोकन किया। उक्त नजीर में भी स्पष्ट अंकन है कि ***" जब एस0डी0ओ0 ने मौके का स्वयं निरीक्षण नहीं किया और ना ही भू0राजस्व निरीक्षक से निरीक्षण रिपोर्ट मंगवाई जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत आवश्यक है। एस0डी0ओ0 ने पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया जो कानूनन सही नहीं है।"***

विचाराधीन प्रकरण में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 की पालना नहीं की जाकर मौका पर्चा भू0राजस्व निरीक्षक से नीचे के स्तर के राजस्व कर्मचारी पटवारी हल्का मियापुर द्वारा तैयार की गई है। अतः उक्त न्यायिक नजीर भी हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में विधिक एवं प्रक्रित्मक त्रुटि कारित की है। हमारे द्वारा अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरे क्रमशः2016 आर0बी0जे पेज 20, 2023 आर0बी0जे पेज 470, 2023(1) डी0एन0जे0 रेवेन्यू पेज 813 का ससम्मान अवलोकन एवं गहनता से अध्ययन किया गया हस्तगत प्रकरण पर प्रस्तुत न्यायिक नजीरे चस्पा नहीं होती है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 07/2022 (143/2022) में पारित आदेश दिनांक 23.05.2023 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वे दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 के नियम 17, 18 व 19 की पालना करते हुए प्रार्थना–पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर वैकल्पिक मार्ग का अंकन करते हुए उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त कर, आपत्ति का निस्तारण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर में दिनांक 18.12.2024 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

27/11/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner